प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2022**

प्र.इ.रि.सं.........42/22.........दिनांक.........11/2/22.........

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
(2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें............. –.........................
(3) अधिनियम ....–...............................धारायें..........................–.....................
(4) अन्य अधिनियम व धारायें..–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....209........समय.......................1:30 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन :– 10.02.2022 समय 02.02 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 09.02.2022 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– पटवार कार्यालय चक संख्या–2 बावड़ी, तहसील बावड़ी जिला जोधुपर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व, करीब 65 कि0मी0
(ब) पता :– पटवार कार्यालय चक संख्या–2 बावड़ी, तहसील बावड़ी जिला जोधुपर।
....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–............................जिला..............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– पप्पुराम
(ब) पिता का नाम : श्री बालूराम
(स) जन्म तिथि : 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या...................–..जारी होने की तिथि ...–...........
जारी होने की जगह ....–..
(र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
(ल) पता :– निवासी डावोला का बास, ग्राम बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या–2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि ....8,000/– रूपये..

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)...............................

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवा में,
श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर–ग्रामीण।

विषय – श्री भंवर लाल पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने हेतु।

महोदय,

निवेदन हैं कि मैं प्रार्थी पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावडी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम से 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि क्रय की गई थी। मेरे मेरे द्वारा मेरी पत्नि के नाम से क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री भंवरलाल हल्का पटवारी बावड़ी चक द्वितीय को आज से करीब 10–12 दिन पहले दी थी। मेरे द्वारा पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति देते वक्त पटवारी श्री भंवर लाल द्वारा मेरे से नामान्तरण दर्ज करने के लिये 2000/– रू0 मांग कर प्राप्त कर लिये थे। मेरे द्वारा पटवारी श्री भंवर लाल से मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक मेरी पत्नि के नाम क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया।

आज दिनांक 09.02.2022 को मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय से बावड़ी स्थित उनके कार्यालय में मिला तो उन्होने मेरे से मेरी पत्नि के नाम नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 10,000/– रू0 रिश्वत राशि की मांग की गई है। मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावडी चक द्वितीय को मेरे जायज कार्य के लिये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री भंवर लाल पटवारी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन–देन बाकी है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। मेरे द्वारा पटवारी को प्रस्तुत की गई मेरी पत्नि के नाम की रजिस्ट्री की फोटो एवं मेरे आधार कार्ड की फोटो साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सही/– स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश जोशी	सही/– स्वतन्त्र गवाह श्री चन्द्राराम	सही/– (अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	सही/– (भोपालसिंह लखावत) अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	प्रार्थी पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावडी, तह0 बावड़ी जिला जोधपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 09.02.2022 वक्त 04.00 पी.एम.पर यह लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पत्नि श्रीमती कमला के नाम से श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को उसकी ग्राम बावड़ी चक द्वितीय खसरा संख्या 162 में से 1/2 हिस्सा खातेदारी जमीन 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि क्रय की गई थी। मेरे द्वारा मेरी पत्नि के नाम से क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री भंवरलाल हल्का पटवारी बावड़ी चक द्वितीय को आज से करीब 10–12 दिन पहले दी थी। मेरे द्वारा पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति देते वक्त पटवारी श्री भंवर लाल द्वारा मेरे से नामान्तरण दर्ज करने के लिये 2000/– रू0 मांग कर प्राप्त कर लिये थे। मेरे द्वारा पटवारी श्री भंवर लाल से मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक मेरी पत्नि के नाम क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। आज दिनांक 09.02.2022 को मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय से बावड़ी स्थित उनके कार्यालय में मिला तो उन्होने मेरे से मेरी पत्नि के नाम नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 10,000/– रू0 रिश्वत राशि की मांग की गई है। मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय को मेरे जायज कार्य के लिये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री भंवर लाल पटवारी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन–देन बाकी है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाता है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में तलब कर परिवादी श्री पप्पुराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पप्पुराम को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछताछ कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताने व अपने फिकरा उपरोक्त के कथनो की पुनः ताईद की गई। वक्त 04.40 पी.एम. पर कार्यालय के श्री बचनाराम कानि. 447 को अपने कार्यालय कक्ष में